

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'पंद्रह'

[21/3/2018]

प्रश्न सं. [क. 4229]

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल

ट्रॉली

क्रमांक एफ. 19-76/2007/1/4.

भोपाल, दिनांक 17 अगस्त, 2009

प्रति

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त समागमीय आयुक्त,
समस्त कलेपटसे,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषय:- माननीय संसद सदस्यों/विधायकों के पत्रों का शीघ्र एवं समुचित जवाब देने बाबत।

संदर्भ:- संसदीय कार्य विभाग का ज्ञापन क्रमांक 259/एक(8)/13/48/2002 (सं.का.), दिनांक 26.2.2004 एवं इस विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ 19-153/2004/1/4, दिनांक 10.8.2004 और क्रमांक एफ. 19-76/2007/1/4, दिनांक 18.5.2007

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के अनुक्रम में लेख है कि माननीय सांसदों एवं विधायकों के साथ शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने तथा उनसे प्राप्त पत्रों पर समुचित कार्यवाही कर उन्हें समय सीमा में अवगत कराये जाने के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देश दिनांक 26 फरवरी, 2004 पुनः संलग्न कर निर्दिष्ट किया जाता है कि इन निर्देशों का संख्ती से पालन किया जाए। निम्न बिंदुओं पर अतिरिक्त सतर्कता के साथ प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए :—

1. माननीय संसद सदस्यों तथा विधायकों से प्राप्त पत्रों की अस्वीकृति पत्र प्राप्ति के अधिकतम तीन कार्य दिवसों में अनिवार्यतः भेजी जाए।
2. प्राप्त पत्र पर सावधानीपूर्वक विचार कर उचित स्तर से उत्तर अधिकतम एक माह की अवधि में अनिवार्यतः भेजा जाए।
3. यदि कार्यवाही पूर्ण होने में अधिक समय लगने की संभावना हो तो माननीय सदस्य को तदनुसार अंतरिम रूप से अवगत कराया जाए।
4. माननीय सदस्यों के पत्रों का जवाब माननीय मंत्रीगण ही देते हैं परन्तु यदि अधिकारी स्तर पर जवाब भेजना हो तो सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर से ही दिया जाए।
5. माननीय संसद सदस्यों/विधायकों से प्राप्त पत्रों पर तुरंत कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक विभाग/कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र में पंजी का संधारण किया जाएगा। यह पंजी सचिव/विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष एवं विभाग के प्रभारी अधिकारी स्वयं हर प्रत्येक देखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि माननीय सदस्यों के पत्रों पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।
6. उक्त कार्य का अनुश्रवण शासन स्तर पर करने का निर्णय लिया गया है, अतः प्रत्येक विभाग अपने तथा अपने विभागाध्यक्ष कार्यालय में, प्रत्येक समागमीय आयुक्त, अपने तथा अपने समागम में कार्यरत् समागमीय कार्यालय में तथा प्रत्येक जिलाध्यक्ष अपने तथा अपने जिले में कार्यरत् समस्त कार्यालयों में जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों की समेकित मासिक समीक्षा करेंगे।

अध्यक्ष
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

7. कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए और इन्हें अधीनस्थ अधिकारियों के ध्यान में लाकर उनका पालन सुनिश्चित कराया जाए।

8. पूर्व में जारी निर्देश दिनांक 26.2.2004 (संसदीय कार्य विभाग) की प्रति संलग्न है।

Sudeep
(सुदेश कुमार)

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठ ०५० एफ. १९-७६/२००७/१-४,

13-8-09 भोपाल, दिनांक 13 अगस्त, 2009

1. मध्यप्रदेश के समस्त माननीय संसद सदस्य,
2. मध्यप्रदेश विधान सभा के समस्त माननीय सदस्य,
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, मोप्र० शासन, संसदीय कार्य विभाग, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, मोप्र० विधानसभा सचिवालय, भोपाल।
6. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. रजिस्ट्रार—जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, मोप्र० भोपाल।
9. सचिव, मोप्र० मानव अधिकार आयोग, भोपाल।
10. सचिव, मोप्र० राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
11. सचिव, मोप्र० अल्प संख्यक आयोग, भोपाल।
12. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश इंदौर,
13. सचिव, राज्य सूचना आयोग, मोप्र० भोपाल।
14. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मोप्र० भोपाल।
15. रजिस्ट्रार, मोप्र० उच्च न्यायालय, जबलपुर/खंडपीठ इंदौर/ग्वालियर।
16. अध्यक्ष, मोप्र० व्यवसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल।
17. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मंडल, मोप्र० भोपाल।
18. आयुक्त जन सम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
19. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता/अधिवक्ता, जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर।
20. निज सचिव/निज सहायक, माननीय मुख्यमंत्री जी/उप-मुख्यमंत्रीगण/मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, मध्यप्रदेश
21. मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, मंत्रालय, भोपाल,
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Deakin
(अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,
MP MLA Etiquette.doc)

Deakin
अमृता अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग